उत्तराखण्ड शासन

ईमेल आई0डी0– info@ukmc.in
दूरभाष/फैक्स नं0 0135–2781201

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

श्रीमती फरजाना बेगम, मा0 सदस्य/मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में जनपद ऊधमसिंहनगर के रूद्रपुर स्थित कैम्प कार्यालय में दिनांक 08.07.2025 को पूर्वाहन् 11.00 बजे

आहूत बैठक का कार्यवृत्त–

दिनांक 08.07.2025 को कैम्प कार्यालय रूद्रपुर में आहूत बैठक में उपस्थित महानुभव एवं सदस्यों की उपस्थिति का विवरणः–

1. श्रीमती फरजाना बेगम, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
2. मो0 तस्लीम, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
3. श्री जगजीत सिंह जग्गा, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
4. श्री नफीस अहमद, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
5. श्री गगनदीप सिंह बेदी, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
6. श्री शकील अहमद, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
7. श्री डॉ0 सुरेन्द्र कुमार जैन, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
8. श्री येशी थूप्तेन, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
9. श्री जे.एस.रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
10. श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

बैठक में सर्वप्रथम मा0 उपाध्यक्ष महोदया द्वारा अपने कैम्प कार्यालय में उपस्थित समस्त महानुभाव/सदस्यों एवं अधिकारी/कर्मचारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात श्री जे.एस.रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम–2002 में निहित प्राविधानों/कृत्यों का उल्लेख विस्तार से व्यक्त किया गया, जिस पर मा0 उपाध्यक्ष महोदया द्वारा निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गयाः–

भाग–1 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के कृत्य

(1) उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 सन् 2002 के अनुसार आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा अर्थात

(क) उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षा उपायों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना।

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना।

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित किये जानें के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ड़) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी भेद–भाव से उत्पन्न होनें वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना।

(ज) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जानें हेतु सुझाव देना और

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर.....

(3) आयोग की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियॉ होगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अर्थात

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी कार्यालय से कोई लेख अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति को आयोग के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत यदि कोई शिकायत दर्ज करानी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आयोग जांच कराकर सम्बन्धित विभाग से समस्या का निराकरण करायेगा।

अधिनियम की धारा 9 (1) (ग) अल्पसंख्यकों के हितों के सरंक्षण के लिये रक्षोपायो के प्रभावी कार्यान्वयन एवं वंचित किये जानें के जानें के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों के सम्बन्ध में प्रकिया।

उपरोक्त सभी के पास आयोग अधिनियम उपलब्ध है। अधिनियम का भली–भांति अध्ययन करते हुए अनुपालन किया जाय।

तत्पश्चात मा0 आयोग अधिनियम में उल्लिखित धारा–9 की उपधारा–(1), (2), (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अन्य समर्थकारी शाक्तियों का प्रयोग कर मा0 आयोग द्वारा अपने आगामी पांच वर्ष के कार्यकाल हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए रूपरेखा तैयार किये जाने पर चर्चा करते हुए उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के तैयार की गयी प्रक्रिया और कार्य संचालन विनियमावली–2025 पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया तथा मा0 उपाध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त कार्यान्वयन नियमावली का प्रस्ताव स्वीकृत/अनुमोदन हेतु अधिनियम की धारा–17(1) के अनुसार सरकार को प्रेषित किये जाने तथा सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यहित में अधिनियम की धारा–8(2) के अनुसार मा0 आयोग को स्वयं अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने के अधिकार होने के कारण कार्य सम्पादन किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>भाग–2 आयोग निम्नलिखित मामलों का संज्ञान नही लेगा।</u>

अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत मुस्लिम, सिख, इसाई, बुद्ध, जैन तथा पारसी जाति के व्यक्ति आते है, जिनके साथ बहुसंख्यक समाज के व्यक्तियों द्वारा विभेद उत्पन्न कर उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर मा0 आयोग अग्रेत्तर कार्यवाही करेगा। इसके अतिरिक्त निम्न मामलों का संज्ञान नहीं लिया जायेगाः–

1. जो अल्पसंख्यक समुदाय बनाम अल्पसंख्यक समुदाय से हों।
2. गैर अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्र जिनका सम्बन्ध अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीडन से न हों।
3. ऐसे प्रकरण जो मुख्यतः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हों या जिनका संज्ञान उक्त आयोग द्वारा ले लिया गया हो।
4. जो वाद किसी मा0 न्यायालय में विचाराधीन हो।
5. जो वाद प्रार्थना–पत्र देनें के तिथि से 5 वर्ष से अधिक पुरानें हो।
6. सेवा सम्बन्धी ऐसे मामलें जिनमें उपलब्ध विभागीय प्रतिकार न लिया गया हो।
7. सेवा सम्बन्धी मामलें जो सरकारी सेवक द्वारा स्वयं न देकर किसी अन्य सम्बन्धी या व्यक्ति के नाम से दिये गये हों।
8. ऐसे मामलें जिनका आयोग द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका हों।
9. लाइसेन्स, परमिट आवास, अनुदान आदि दिलाये जानें सम्बन्धी अनुरोध या संस्तुति करनें मामलें सिवाय उन मामलें के जिनमें नियम उल्लघन आदि के कारण न्याय न मिल रहा हो।
10. राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र या अन्य सिफारिश से सम्बन्धित प्रकरण।
11. श्रमिक संगठनों/युनियनों/एसोशियसनों से प्राप्त सन्दर्भो जो नीति विषयक न होकर व्यक्ति विशेष की शिकायत से सम्बन्धित हो जिसमें उस व्यक्ति को आयोग को सीधे अनुरोध करनें का अवसर प्राप्त है।

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

12. ऐसे प्रकरण, जो सरकार के विरूद्ध हो।

अध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य क्षेत्र सम्बन्धित सदस्य द्वारा शिकायत प्राप्त होनें पर यदि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 9 के प्राविधानो के अन्तर्गत अन्वेषण/जांच किये जानें का विनिश्चय किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/प्राधिकारी को शिकायत की प्रति भेजते हुये उस पर आख्या निर्धरित अवधि तक उपलब्ध करानें की अपेक्षा की जायेगी। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नोटिस निर्धारित प्रपत्र पर भेजा जायेगा एवं तदनुसार उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित कृत्यों एवं भाक्तियों के अनुसार सुनवाई की जायेगी। ऐसे मामलें जिनमें यह समझा जाय कि अधिकारी अथवा व्यक्ति विशेष अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति हेतु सम्मन भेजा जाना है, तो उस दशा मे प्रथम बार अध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाना अनिवार्य होगा। यदि नियत तिथि को नामित अधिकारी उपस्थित नही होते हैं अथवा सुस्पष्ट रिर्पोट प्राप्त नही होती है या प्राप्त रिपोर्ट अपूर्ण पायी जाती है तो उक्त अधिनियम की धारा 9 मे दिये गये अधिकारी के नियत्रण से सम्बन्धित अधिकारी अथवा व्यक्ति विशेष को आयोग के समक्ष उपस्थित होने तथा साक्ष्य देने हेतु आदेश जारी किये जा सकते है।

(ग) यदि आयोग में किसी दिवस में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उपस्थित नही रहते है, तो उस तिथि हेतु निर्धारित मामलों को सचिव द्वारा सुना जायेगा जिस पर विचार कर आवश्यकतानुसार उनके द्वारा सम्मन जारी किये जायेंगे अथवा अग्रिम निर्णय हेतु आयोग के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ)किसी प्रकरण विशेष में अन्वेषण के अर्न्तगत यदि स्थलीय निरीक्षण अथवा भ्रमण की आवश्यकता समझी जाती है, तो ऐसा स्थलीय निरीक्षण अथवा भ्रमण अध्यक्ष कर सकते है अथवा किसी सदस्य अथवा सचिव या आयोग में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी अथवा आयोग के स्टाफ से कराये जाने हेतु आदेाति कर सकते है।

(घ) मा0 आयोग के सदस्यगणों का नियंत्रक मा0 अध्यक्ष होगें, बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी सदस्य राजकीय भ्रमण/यात्रा नहीं कर सकते है तथा मा0 अध्यक्ष भी मा0 आयोग की सुनवाई में यदि किसी सदस्य/अधिकारी को जांच समिति में नामित करना हो, तो इस सम्बन्ध में भी मा0 आयोग के समक्ष विचारोपरान्त अन्तिम निर्णय मा0 अध्यक्ष को होगा।

(ड़) यदि किसी भी क्षेत्र में विकास संबंधी कोई भी कार्य करना हो, तो सीधा संबंधित अधिकारी को महानुभाव/सदस्यगण पत्राचार कर सकते है। बिना किसी के प्रार्थना–पत्र एवं सूचना के कोई भी पत्राचार न करें।

(च) यदि कोई मा0 सदस्यगण अपने क्षेत्र में भ्रमण/शिविर कार्यक्रम आदि का आयोजन करना चाहते है, तो वह मा0 अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त स्वतंत्र है। इस हेतु मा0 आयोग एवं शासकीय सहायता उपलब्ध नहीं है।

भाग–3 अन्य बिन्दुः–

1. कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायती प्रार्थना–पत्र में आयोग स्तर से न्याय या अन्य कार्यवाही चाहता है, तो सम्बन्धित शिकायतकर्ता मा0 आयोग द्वारा निर्धारित शपथ–पत्र पर नोटरी द्वारा सत्यापित करने उपरान्त प्रस्तुत करेगा। शिकायती प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा।
2. यदि किसी भी किायतकर्ता के द्वारा महानुभाव/सदस्य को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो सम्बन्धित महानुभाव/सदस्य शिकायतकर्ता के शिकायती–पत्र पर परीक्षणोपरान्त अपने मन्तव्य सहित स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा कि प्रार्थना–पत्र पर क्या कार्यवाही की जानी है।
3. मा0 आयोग में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों से दूरभाषा से वार्ता आयोग कार्यालय स्तर से न की जाय क्योंकि सम्बन्धित अधिकारी कार्य में रूचि नहीं लेते है। इस सम्बन्ध में महानुभाव (अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण) के द्वारा अपने वैयक्तिक सहायक के माध्यम से दूरभाष से सम्पर्क स्थापित कर संबंधित अधिकारी को निर्देशित करेगें।

क्रमशः पृष्ठ 4 पर.....

4. समस्त महानुभाव/सदस्य अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं का लाभ जन–सामान्य तक पहुंचाने हेतु अधिक प्रयासरत् रहेंगें।

भाग–4 महानुभावों/सदस्योंगणों का सुझाव/प्राप्त सुझावों पर निर्देश।

1. मा0 उपाध्यक्ष महोदया द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक महिला कल्याण परिषद का गठन कराये जाने संबंधित शासन स्तर से कराये जाने हेतु पत्राचार किये जाने के निर्देश दिये।
2. बैठक में मा0 उपाध्यक्ष महोदया द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पत्र सं0–321 दिनांक 03.07.2025 का संज्ञान लेते हुए समस्त सदस्यगणों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने–अपने क्षेत्रों में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं को प्रदेश के अन्तिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में एकरूपता के साथ सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही पहाड़ी जनपदों में योजनाएं जन–जन तक पहुचांये जाने हेतु अधिक जोर देते हुए आदर्श आचार संहिता की समाप्ति उपरान्त माह अगस्त, 2025 से जनपद स्तर पर बैठक/शिविरों का आयोजन किये जाने के निर्देश दिये गये।
3. समस्त सदस्यगणों द्वारा मा0 आयोग में नामित मानदेय को उत्तर–प्रदेश की भांति रू0 25,000/– किये जाने हेतु मा0 उपाध्यक्ष महोदया से सरकार को पत्राचार किये जाने की अपेक्षा की गयी, जिस पर मा0 उपाध्यक्ष महोदया द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी। इसके अतिरिक्त बैठक में मा0 उपाध्यक्ष महोदया के संज्ञान में आया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र आतिथि तक शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्गत किया जा रहा है, जिसमें मा0 आयोग एवं महानुभावों को अनेक शिकायतें प्राप्त होती है कि उनके प्रस्ताव पर समयान्तर्गत कार्यवाही न होने के कारण वंचित रह जाते है, इस हेतु उक्त प्रमाण–पत्र अल्पसंख्यक आयोग स्तर से निर्गत किये जाने हेतु मा0 आयोग को अधिकृत संबंधी स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में शासन स्तर से कार्यवाही की अपेक्षा की गयी, जिस पर मा0 उपाध्यक्ष महोदया द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी।
4. मौ0 तस्लीम, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा अपेक्षा की गयी कि विगत एक वर्ष से मा0 आयोग के गठन न होने के कारण मा0 आयोग में प्राप्त शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई न होने के कारण शिकायतकर्ता अत्यन्त दुखी है, जिस हेतु उनके द्वारा जनपद ऊधमसिंहनगर में सुनवाई किये जाने की अपेक्षा की गयी। इस संबंध में मा0 उपाध्यक्ष महोदया द्वारा आदर्श आचार संहिता की समाप्ति उपरान्त माह अगस्त, 2025 के प्रथम सप्ताह में जन–सुनवाई अदालत बैठक मुख्यालय स्तर पर आहूत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अतः में मा0 उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त सदस्यगणों से अपेक्षा की गयी कि हमें एकरूपता के साथ सहयोग की भावना से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रत्येक जन–जन तक पहुंचाना है तथा योजनाओं के लक्ष्य को शत्प्रतिशत पूर्ण किये जाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है व उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम–2002 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए आयोग की गरिमा को बनाये रखने के साथ ही बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यगणों, अधिकारी व कर्मचारियों का आभार व्यक्त कर सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(जे.एस. रावत)
सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

कार्यालय–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 154 /उ0अ0स0/मा0 आयोग बैठक–कार्यवृत्त/2025–26 दिनांक 10 जुलाई, 2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2. अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. समस्त मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित पत्रावली।

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।